न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 03/2024
दायर दिनांक : 06.10.2022
आदेश दिनांक : 17.03.2026

अनवान

सोहनलाल पिता पीथा नायक निवासी फियावड़ी तहसील व जिला राजसमन्द

— **प्रार्थी**

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाडा साईड ऑफिस रिठोला चित्तौडगढ
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द

— **विपक्षीगण**

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 एवार्ड क्रमांक 3014/दिनांक 01.04.2015 एवं पूरक एवार्ड दिनांक 05.08.2016

उपस्थित :—

श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता — अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 01 व 03

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3जी(5) के तहत अवार्ड क्रमांक 3014 दिनांक 01.04.2015 एवं पूरक एवार्ड दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थी की भूमि जो राजस्व ग्राम फियावड़ी तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद की आराजी संख्या 721/12 एवं 721/21 कुल किता 2. कुल रकबा कमशः 0.2330 हेक्टेयर एवं 0.0647 हेक्टेयर कुलिया 2977 वर्गमीटर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 300 रूपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मात्र 2,11,126/— रूपये गलत गणना करते हुए तय किया गया है। 1197 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा न तो अदा किया गया है न इसकी गणना की गई है तथा जो मुआवजा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निर्धारित किया है वह भी 118.61 प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 2977 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 300/– रूपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी से जरिये मिसल संख्या 72/2012 दिनांक 12.11.2012 को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाई थी लेकिन मुआवजा आबादी के स्थान पर कृषि भूमि के रूप में निर्धारित किया गया है जबकि तत्कालीन समय में नेशनल हाईवे कांकरोली–भीलवाड़ा घोषित नहीं होने से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा डी.एल.सी. इस क्षेत्र के लिये निर्धारित नहीं कर रखी थी और जहां निर्धारण डीएलसी का नहीं होता है वहां पर सड़क के पास की उच्चतम दर से 3 गुना डीएलसी दर माने जाने का प्रावधान है और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर रखा है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की, न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थी की 2977 वर्गमीटर अवाप्त होने पर भूमि का मुआवजा 2,11,126/– रूपये तय किया गया है जबकि उक्त भूमि का मुआवजा 300 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से देय होता है। लेकिन प्रार्थी को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। मुआवजा केवल मनमकसूद तरीके से तय किया गया है। प्रार्थी की सारी भूमि अवाप्त हो चुकी है साथ ही इस भूमि पर मकान, दुकानें निर्मित कर रखी थी। निर्माण के संबंध में मुआवजा राशि मात्र 2,89,517/– रूपये निर्धारित कर दिनांक 02.08.2016 को पूरक एवार्ड जारी किया गया है जबकि करीबन मौके पर 10 लाख रूपये का निर्माण प्रार्थी द्वारा किया गया था। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है जबकि यह भूमि प्रार्थी द्वारा खरीद एवं रूपान्तरणशुदा है। प्रार्थी ने मुआवजा अदा करने के लिये दिनांक 04.10.2023 को प्रतिवेदन पेश कर भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि वर्तमान बाजार दर अनुसार संशोधित एवार्ड जारी करने एवं मुआवजा राशि भुगतान करने के लिये निवेदन किया उसके बाद मुआवजा का एवार्ड जारी नहीं किया गया। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवंजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या 01 एवं 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी की आराजी संख्या 721/12 किस्म बंजड़ भुमि में से 0.2330 हैक्टर एवं 721/21 किस्म बंजड़ में से 0.0647 हेक्टर भुमि कुलिया 0.2977 हैक्टर भूमि अवाप्त की गई है जिसका नियमानुसार भुगतान कर दिया गया हैं। प्रार्थी अब और किसी प्रकार की बढी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र वर्तमान बाजार दर 300 रूपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक मानते हुए कपोल कल्पना के आधार पर अवार्ड राशि जारी करवाना चाहता हैं। जबकि विपक्षी द्वारा मुल अवार्ड दिनांक 01.04.2015 को जारी कर भुमि कि किस्म बंजड़ के आधार पर कुलिया राशि 2,11,126/– रूपये का भुगतान दिनांक 07.04.2015 को चैक नम्बर 347169 से जरिये आरटीजीएस कर दिया गया हैं। तत्पश्चात् दिनांक 02.08.2016 को पुनः पुरक अवार्ड जारी करते हुए भूमि कि किस्म के अनुसार सरंचना का पुरक अवार्ड जारी कर राशी 2,60,565/– का भुगतान करने की स्वीकृती जारी कर दी गई है। कुलीया 4,71,691/– का अवार्ड जारी कर भुगतान करने की स्वीकृती जारी कर दी गई है। इस वास्ते प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य हैं। विपक्षी द्वारा नियमानुसार सभी विवादों से मुक्त होकर पूर्णरुप से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में अवाप्त की गई जो पूर्णतया वैधानिक होकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी (3) के तहत आपत्तियां करने के उपरान्त लिए गए निर्णयानुसार, तहसीलदार से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जांच रिपोर्ट अनुसार तत्समय प्रचलित दरों के माध्यम से खातेदार/हितधारी की अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर पूर्णतया वैधानिक तरीके से निष्पादित किया गया तथा प्रार्थी को नियमानुसार पुर्णरुपेण अवार्ड राशि जारी की जाकर चैक जरिये तहसीलदार प्रार्थी को भिजवाया दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 03 (क) की अधिसूचना के समय की प्रचलित डी.एल.सी. दर देय होगी। उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 3 (जी) (3) के तहत आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्राप्त राजस्व अभिलेख एंव मौके की जांच रिपोर्ट एंव तत्समय प्रचलित दर अनुसार अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड प्रार्थी को जारी किया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (4) में स्पष्ट किया है कि A declaration made by the Central Government under sub-section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से प्रभावित होने से प्रार्थी इस अधिनियम के तहत अब कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचाराधीन प्रकरण पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act. 2013) प्रकरण पर अक्षरशः

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लागु नहीं होता है। तोषण की राशि रा०रा०अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत वर्जित है। जारी की गई अवाप्ति सुचनाओं के संबंध में प्रभावी दिनांक को लेकर कोई तथ्य सुसंगत रुप से स्पष्ट किया जाना है या कोई भी पक्षकार स्वयं को पीडित महशुस करता है, तो उसके लिए आर्टिकल 226, 227 के तहत शक्तियां केवल मात्र माननीय उच्च न्यायालय में निहित है, जिसका अनुसरण इस स्तर पर आप श्रीमान् अदालत द्वारा किया जाना क्षेत्राधिकारीता से परे होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। जहां 3 ए एवं 3 डी का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 31.12.2014 से पूर्व हो चुका है उस पर RFCTLARR Act. 2013 लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त एक्ट 01.01.2015 से लागू हुआ है। प्रार्थी की भुमि के सम्बन्ध में भी अधिसुचना दिनांक 28.12.2012 एवं 04.10. 2013 को जारी की गई थी इसलिए प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों के आधार पर मुआवजा जारी नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि का नियमानुसार डी०एल०सी० दर के आधार पर अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी की अवाप्ति भूमि पर अधिनियम 2013 लागू नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में हस्तगत भूमि अवाप्ति कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कारित की गई है, जिसके तहत धारा 3 के तहत पूर्ण कार्यवाही निष्पादित की गई है ना कि भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत की गई है। अतः माननीय अदालत आप से विनम्र निवेदन है कि विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थी का क्लेम प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण निरस्त किये जाने का आदेश न्याय हित में बक्षाया जावें। प्रार्थी कानूनन न तो कोई बढी हुई मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है न ब्याज या अन्य कोई राशि। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि राजस्व ग्राम फियावड़ी तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद की आराजी संख्या 721/12 एवं 721/21 कुल किता 2, कुल रकबा कमशः 0.2330 हेक्टेयर एवं 0.0647 हेक्टेयर कुलिया 2977 वर्गमीटर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 300 रूपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मात्र 2,11,126/– रूपये गलत गणना करते हुए तय किया गया है। 1197 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा न तो अदा किया गया है न इसकी गणना की गई है तथा जो मुआवजा निर्धारित किया है वह भी 118.61 प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 2977 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 300/– रूपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी से जरिये मिसल संख्या 72/2012 दिनांक 12.11.2012 को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाई थी लेकिन मुआवजा आबादी के स्थान पर कृषि भूमि के रूप में निर्धारित किया गया है जबकि तत्कालीन समय में नेशनल हाईवे कांकरोली–भीलवाड़ा घोषित नहीं होने से जिला

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

स्तरीय कमेटी द्वारा डी.एल.सी. इस क्षेत्र के लिये निर्धारित नहीं कर रखी थी और जहां निर्धारण डीएलसी का नहीं होता है वहां पर सड़क के पास की उच्चतम दर से 3 गुना डीएलसी दर माने जाने का प्रावधान है और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर रखा है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की, न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थी की 2977 वर्गमीटर अवाप्त होने पर भूमि का मुआवजा 2,11,126/– रूपये तय किया गया है जबकि उक्त भूमि का मुआवजा 300 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से देय होता है। लेकिन प्रार्थी को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। मुआवजा केवल मनमकसूद तरीके से तय किया गया है। प्रार्थी की सारी भूमि अवाप्त हो चुकी है साथ ही इस भूमि पर मकान, दुकानें निर्मित कर रखी थी। निर्माण के संबंध में मुआवजा राशि मात्र 2,89,517/– रूपये निर्धारित कर दिनांक 02.08.2016 को पूरक एवार्ड जारी किया गया है जबकि करीबन मौके पर 10 लाख रूपये का निर्माण प्रार्थी द्वारा किया गया था। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे।

विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा मुल अवार्ड दिनांक 01.04.2015 को जारी कर भुमि कि किस्म बंजड़ के आधार पर कुलिया राशि 2,11,126/– रूपये का भुगतान दिनांक 07.04.2015 को चैक नम्बर 347169 से जरिये आरटीजीएस कर दिया गया हैं। तत्पश्चात् दिनांक 02.08.2016 को पुनः पुरक अवार्ड जारी करते हुए भूमि कि किस्म के अनुसार सरंचना का पुरक अवार्ड जारी कर राशी 2,60,565/– का भुगतान करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। कुलिया 4,71,691/– का अवार्ड जारी कर भुगतान करने की स्वीकृती जारी कर दी गई है। विपक्षी द्वारा नियमानुसार सभी विवादों से मुक्त होकर पूर्णरुप से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में अवाप्त की गई जो पूर्णतया वैधानिक होकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी (3) के तहत आपत्तियां करने के उपरान्त लिए गए निर्णयानुसार, तहसीलदार से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जांच रिपोर्ट अनुसार तत्समय प्रचलित दरों के माध्यम से खातेदार की अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर पूर्णतया वैधानिक तरीके से निष्पादित किया गया तथा प्रार्थी को नियमानुसार पुर्ण रुपेण अवार्ड राशि जारी की जाकर चैक जरिये तहसीलदार प्रार्थी को भिजवाया दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 03 (क) की अधिसूचना के समय की प्रचलित डी.एल.सी. दर देय होगी। उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 3 (जी) (3) के तहत आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्राप्त राजस्व अभिलेख एंव मौके की जांच रिपोर्ट एंव तत्समय प्रचलित दर अनुसार अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड प्रार्थी को जारी किया है। साथ ही

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (4) में स्पष्ट किया है कि A declaration made by the Central Government under sub-section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से प्रभावित होने से प्रार्थी इस अधिनियम के तहत अब कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाया जावे।

विपक्षी संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार कार्यवाही करते हुए मुआवजा राशि अदा की गयी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आधारहीन होने से पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन महन किया गया। हमने पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हुआ कि प्रकरण में आवेदक द्वारा मुख्यतः तीन तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं।

1. आवेदक को उसकी भूमि अवाप्ति (Land Acquisition) के बदले जो मुआवजा दिया गया है, वह कृषि भूमि किस्म बंजर का दिया गया है। जबकि आवेदक के अनुसार उसने भूमि का आवासीय रूपांतरण (Residential Conversion) करा लिया था। अतः उसे आवासीय रूपांतरित भूमि का मुआवजा आवासीय दर से दिया जाना चाहिए।

2. इसका मुआवजा दिनांक 01.04.2015 को पारित किया गया, जो कि नवीन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पारित नहीं किया गया है। उसे सोलेशियम (Solatium) व ब्याज (Interest) का भुगतान भी नहीं किया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा उसके आवासीय संपवितर्न के संबंध में तहसीलदार द्वारा जारी किए गए आदेशों की प्रति भी प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी की भूमि 0.2977 हैक्टेर अवाप्त की गई है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि है। परन्तु प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रेषित रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 12.11.2012 को आवासीय रूपान्तरण किया गया। परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड दिनांक 01.04.2015 को जारी किया गया। उसमें उसकी भूमि को जमाबन्दी अनुसार कृषि भूमि मानते हुए उसका अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अनुसार जारी किया जाना पाया जाता है। यह अवार्ड दिनांक 01.04.2015 और पूरक अवार्ड दिनांक 02.08.2016 को जारी किया गया है। अर्थात् यह अवार्ड दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी किया गया है। भारत सरकार के न्याय एवं विधि मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 31.12.2014 के अनुसार दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी होने वाले अवार्ड RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानो के अनुसार जारी किये जाने चाहिए। परन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द द्वारा जो अवार्ड जारी किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उस अवार्ड में RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानो का ध्यान नही रखा गया है। ऐसा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है। साथ ही क्योंकि भूमि अवाप्त किये जाने से पहले ही तहसीलदार राजसमन्द द्वारा आवासीय भूमि के रूप में रूपान्तरित की जा चुकी है। उसके पश्चात भी जमाबन्दी के अनुसार कृषि भूमि का मुआवजा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चुंकि रूपान्तरण के पश्चात उसका राजस्व रेकार्ड में इंद्राज किया जाना राजस्व अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। इसमें प्रार्थी का कोई दोष नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि यदि आवेदक द्वारा उसकी अवाप्त भूमि के संपविर्तित होने के संबंध में विधिक आदेश प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसके मुआवजे का निर्धारण उनके अनुरूप किया जाए। चूंकि मुआवजा दिनांक 01.04.2015 को पारित किया गया है और 01.01.2015 के पश्चात जारी होने वाले मुआवजे की राशि पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act. 2013) के प्रावधान लागू होने चाहिए। और मुआवजा पारित करने में इस तथ्य का भी ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की मूल अवार्ड पत्रावली सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)